

प्रेषक:

चन्द्र शेखर सिंह,
सरकार के अपर सचिव

सेवा में,

जिला पदाधिकारी
रोहतास

पटना, दिनांक-..... 2016

विषय:- बिहार मानवाधिकार आयोग के वाद संख्या-BHRC/Comp. 1295/2012 दिनांक-16.08.2016 में पारित आदेश के आलोक में सूर्यपूरा थाना काण्ड सं0-78/11 दिनांक-13.11.2011 के पीड़ित श्री रविन्द्र सिंह, पिता-स्व0 मोतीलाल सिंह, जिला-रोहतास को अंतरिम राहत/मुआवजा के रूप में ₹1,00,000/- (एक लाख रुपये) आदेश/राज्यादेश संख्या-10174 दिनांक-27.10.2016 द्वारा स्वीकृत राशि के मुख्य शीर्ष-2235, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण उप मुख्य शीर्ष-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, लघु शीर्ष-200-अन्य कार्यक्रम मांग संख्या-22-उप शीर्ष-0011 मानवता के दृष्टिकोण से राहत, विपत्र कोड-N2235602000011 विषय शीर्ष-3102 अनुग्रह अनुदान में वित्तीय वर्ष 2016-17 में उपबंधित राशि से कुल ₹1,00,000/- (एक लाख रुपये) मात्र के आवंटन की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

2. श्री रविन्द्र सिंह, जिला-रोहतास को मुआवजा भुगतान करने हेतु जिला पदाधिकारी, रोहतास को निम्नवत राशि आवंटित की जाती है:-

वित्तीय वर्ष 2016-17 में जिला पदाधिकारी, रोहतास को पूर्व में आवंटित राशि	वित्तीय वर्ष 2016-17 में जिला पदाधिकारी, रोहतास को वर्तमान में आवंटित राशि	वित्तीय वर्ष 2016-17 में जिला पदाधिकारी, रोहतास को कुल आवंटित राशि
₹3,00,000/- (तीन लाख)	₹1,00,000/- (एक लाख)	₹4,00,000/- (चार लाख)

- उक्त आवंटित राशि ₹1,00,000/- (एक लाख रुपये) मात्र चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-उप-मुख्य शीर्ष-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, लघु शीर्ष-200-अन्य कार्यक्रम मांग संख्या-22-उप शीर्ष-0011-मानवता के दृष्टिकोण से राहत विपत्र कोड-N2235602000011 के अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
- उक्त राशि जिला पदाधिकारी, रोहतास द्वारा यथा विषयांकित मामले के पीड़ित श्री रविन्द्र सिंह के भुगतान हेतु जिला पदाधिकारी, रोहतास को उपलब्ध करायी जा रही है।
जिला पदाधिकारी, रोहतास कृपया यह भी सुनिश्चित कर लेंगे कि उनके द्वारा मुआवजा की राशि का भुगतान पीड़ित की समुचित पहचान कर की गई है।
- उक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला पदाधिकारी, रोहतास होंगे।
- उक्त राशि की निकासी जिला कोषागार, रोहतास से की जायगी।
- यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 दिनांक-17.04.98 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी जिला पदाधिकारी, रोहतास की होगी।

8. जिला पदाधिकारी, रोहतास द्वारा पीड़ित श्री रविन्द्र सिंह को उक्त राशि का भुगतान बैंक ड्राफ्ट/क्रॉस चेक के माध्यम से किया जाएगा।
9. जिला पदाधिकारी, रोहतास का यह दायित्व होगा कि भुगतान की गयी राशि का भुगतान प्रमाण पत्र/प्राप्ति रसीद गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना को यथाशीघ्र निश्चित रूप से उपलब्ध करा देंगे।
10. इस राशि का उपयोग जिला पदाधिकारी, रोहतास द्वारा मात्र उक्त पीड़ित श्री रविन्द्र सिंह को अंतरिम राहत/मुआवजा के रूप में भुगतान हेतु किया जाएगा, किसी भी अन्य योजना के कार्य पर विचलन नहीं किया जायेगा।
11. यदि किसी कारणवश जिला पदाधिकारी, रोहतास द्वारा उक्त राशि का भुगतान नहीं किया जाय तो उस राशि का प्रत्यार्पण वित्तीय वर्ष 2016-17 की समाप्ति के पूर्व गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना को निश्चित रूप से कर दिया जायेगा।
12. इस आवंटनादेश को महालेखाकार, बिहार, पटना को संसूचित किया जा रहा है।
13. इस आवंटन ओदश की प्रति संबंधित कोषागार पदाधिकारी एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(चन्द्र शेखर सिंह)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:-.....

पटना, दिनांक-....., 2016

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले0 एवं हक), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:-.....

पटना, दिनांक-....., 2016

प्रतिलिपि :- प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, रोहतास/वित्त विभाग-सह-बजट शाखा, बिहार, पटना को (दो प्रतियों) में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:-.....

पटना, दिनांक-....., 2016

प्रतिलिपि :- उप सचिव, प्रशाखा "ए0", गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना को लेखा संधारण हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-

पटना, दिनांक, 2016

प्रतिलिपि :- सहायक निबंधक, बिहार मानवाधिकार आयोग, 9बेली रोड, पटना को उनके पत्रांक/वाद सं0-BHRC/Comp.1295/2012-30150 दिनांक-16.08.2016 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक- 10266.....

पटना, दिनांक 31/10/2016

प्रतिलिपि :- आई0टी0 मैनेजर, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव